# न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

## पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 03/2020
RCMS Case Reg. 2020/00009

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी, तहसीलदार, बांसवाड़ा (राज.)। –प्रार्थी

बनाम

श्री अंजु पिता रामचन्द्र जाति भोई निवासी भोईवाडा तहसील व जिला बांसवाड़ा –प्रत्यर्थी

## भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस

## निर्णय

दिनांक :– 06–01–2021

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार, बांसवाड़ा द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेंस का प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया कि सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 तहसील बांसवाड़ा के राजस्व ग्राम बांसवाड़ा के खसरा संख्या 793 रकबा 3.00 किस्म भूमि गैर मुमकीन नाला/नाली सिवायचक श्रीसरकार अंकित है। उक्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खसरा नं. 2776/793 रकबा 0.03 बिघा भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज किया रेकार्ड है। जो राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज नदी/नाला/झील/तलाब/नाली/तलाई/जलाशयो की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नही होते है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त आराजी नंबर के खातेदारी अधिकारी व उक्त भूमि से उद्भूत समस्त अधिकार काबिल निरस्ती योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.01.13 11:21:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)



Scanned with CamScanner

सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 वाके ग्राम बॉसवाडा पटवार मण्डल बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा आराजी नंबर 793 रकबा 3.00 बिघा भूमि किस्म नाला/नाली श्रीसरकार दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2033–36 में आराजी नंबर 2776/793 रकबा 0.03 बिघा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में भी यथावत दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से बाधित भूमि जो आरम्भ से ही शून्य है तथा इस प्रकार की भूमि में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी सिविल जनहित याचिका संख्या 1530/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी यही व्यवस्था दी है कि राजस्व रेकार्ड में दिनांक 15.08.1947 में दर्ज गैर मुमकिन नाला/नाली/नदी है। जो कि आवंटन/नियमन से बाधित भूमि है। अतः वर्जित किस्म की भूमि होने के कारण रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर उक्त ग्राम बॉसवाडा पटवार मण्डल बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा आराजी नं 2776/793 रकबा 0.03 बिघा खातेदार श्री अंजु पिता रामचन्द्र जाति भोई निवासी भोईवाडा बॉसवाडा के निजी खातेदारी/अधिकार को वापस निरस्त की जाकर सरकारी दर्ज किए जाने निवेदन किया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किए गए। अप्रार्थी के पुत्र द्वारा सूचित किया गया कि अप्रार्थी अंजु का देहान्त हो चुका है। तत्पश्चात् तहसीलदार बॉसवाडा को कायम वारिसान मुकाम प्रार्थना पत्र पेश करने निर्देश दिये गये। तहसील बॉसवाडा से प्राप्त रिर्पोट अनुसार अजु पिता रामचन्द्र पिता पुत्र नही होकर सगे भाई है। इन दोनो भाईयो के पिता का नाम वक्ताजी है। इस प्रकार तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा रेफरेंस प्रकरण प्रस्तुत करने में त्रुटि की है।

## आदेश

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में रेफरेंस का यह प्रकरण तहसीलदार, बांसवाड़ा को प्रति–प्रेषित (Remand) किया जाकर निर्देश दिए जाते हैं कि राजस्व रेकार्ड अनुसार शुद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.01.13 11:21:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)



Scanned with CamScanner

रुप से प्रकरण तैयार कर अधिकतम एक माह में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्रकरण प्रस्तुत नहीं करने पर समस्त जिम्मेदारी तहसीलदार, बांसवाड़ा की होगी।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.01.13 11:21:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner